तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/3/18	वकुलाय उप०। S.D.O. Sojat से Record अप्राप्त है। अतः स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली दि० 16/4/2018 को पेश हो। अति० जिला कलेक्टर, पाली	603 2/4/18
16/4/18	वकुलाय उप०। पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक — 23/04/2018 — को पेश हो।	
23/04/18	वकुलाय उप०। पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक — 27/05/2018 — को पेश हो।	
9/5/18	पत्रावली तलब की गई/लोक अदालत कोर्ट केम्प हेतु पक्षकारों एंव अधिवक्ता को सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/5/18 को उपखण्ड मुख्यालय सोजत में पेश हो।	
16.05.2018	सरकारी पैरोकार उपस्थित। पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सोजत में प्रस्तुत हुई। प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट हुआ कि प्रकरण में दोनो ही अप्रार्थीगण फौत हो चुके है। प्रार्थी द्वारा इनके का0मु0 को रेकर्ड पर लेने हेतु न तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही का0मु0 की सूची प्रस्तुत की। यह स्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 4 का उल्लंघन है। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सोजत को निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान् के का0मु0 को पक्षकार संयोजित कर पक्षकारान का वर्तमान निवास पता अंकित कर रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए एक माह की अवधि में नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	